# News Update: टीएमसी सांसद ने तीन निकाय समितियों से दिया इस्तीफा, अफसर बोले- बिना कारण बताए लिया फैसला

https://www.amarujala.com/india-news/tmc-mp-resigns-from-three-civic-committees-news-update-in-hindi-2024-02-05?pageId=1

पश्चिम मेदिनीपुर जिले के अधिकारियों ने कहा कि घाटल के सांसद अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अभी तक उनके ओर से कोई बयान भी जारी नहीं हुआ है।

लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इस बीच टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन राज्य संचालित निकायों की समितियों से इस्तीफा दे दिया है। अब क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले चुनावों में अधिकारी मैदान में उतरेंगे भी या नहीं। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के अधिकारियों ने कहा कि घाटल के सांसद अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अभी तक उनके ओर से कोई बयान भी जारी नहीं हुआ है।

ओडिशा के पुलिस इंस्पेक्टर पर महिला एएसआई के यौन उत्पीड़न का आरोप ओडिशा क्राइम ब्रांच ने एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (प्रभारी) अरुण सारंगी ने बताया कि पुलिस निरीक्षक पर 2019 में एक महिला एएसआई के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के निर्देशों के बाद निरीक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सारंगी ने बताया कि घटना 2019 की है। पलिस अधिकारी कार्यस्थल पर महिला एएसआई का यौन उत्पीड़न करता था। एसआई ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी मामले में महिला ने एनएचआरसी के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसके बाद पुलिस विभाग की आंतरिक शिकायत समिति और एनएचआरसी पैनल ने मामले की जांच की। एनएचआरसी ने पुलिस को पीड़िता की शिकायत अनुसार केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANTA SE RISHTA, Online, 5.2.2024

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

# Bhubaneswar: ओडिशा पुलिस इंस्पेक्टर पर महिला एसआई के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

https://jantaserishta.com/local/bhubaneswar-case-registered-against-odisha-police-inspector-for-sexual-harassment-of-female-si-1220781

भुवनेश्वर: ओडिशा के कंधमाल जिले में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर कथित तौर पर एक महिला सब-इंस्पेक्टर (एसआई) का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। जिस पुलिस अधिकारी पर यौन आरोप लगाया गया है उसकी पहचान जिले के फिरिंगिया पुलिस स्टेशन के आईआईसी रमेश प्रधान के रूप में की गई है।

महिला सब-इंस्पेक्टर के आरोप के अनुसार, रमेश प्रधान ने उसका यौन उत्पीड़न किया था जिसके बाद उसने 2019 में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में, उसने संबंधित उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा क्योंकि आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था।

उच्च अधिकारियों से भी न्याय पाने में विफल रहने के बाद, उसने इस घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद आयोग ने ओडिशा के डीजीपी को घटना की जांच शुरू करने के बाद फिरिंगिया पुलिस स्टेशन के आईआईसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इस बीच, ओडिशा क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में डीएसपी कल्पना साहू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर मामला दर्ज कर पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NEWS 18, Online, 5.2.2024

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

# Odisha Police Inspector Booked for Sexually Assaulting Female Colleague

https://www.news18.com/india/odisha-police-inspector-booked-for-sexually-assaulting-female-colleague-8766329.html

The Odisha crime branch has registered a case against a police inspector for allegedly sexually assaulting a lady sub-inspector (SI) in 2019, a senior police official said on Sunday.

The accused inspector has been booked following a direction from the National Human Rights Commission (NHRC), Odisha Director General of Police (in-charge), Arun Sarangi, said.

“The incident took place in 2019. According to the complaint, the police inspector had sexually assaulted the victim in the workplace. The female SI had lodged a complaint with the police station. However, no action was taken,” Sarangi told reporters here.

Later, she filed a petition before the NHRC, following which an internal complaint committee of the police department and an NHRC panel investigated the matter.

The commission has directed the police to register a case based on the complaint lodged by the victim and initiate an investigation, he informed.

Accordingly, a case has been registered against the police inspector, and a deputy superintendent of police (DSP) rank lady officer has been asked to probe into the sexual harassment angle of the case.

Other officers will inquire into other allegations made by the woman cop, the DGP said.

# 4 Years After Woman SI Files Complaint Of Sexual Harassment, Odisha CB Registers Case

https://odishabytes.com/4-years-after-woman-si-files-complaint-of-sexual-harassment-odisha-cb-registers-case/

Bhubaneswar: In a shocking incident, police have started investigation into allegation of sexual harassment of a police officer 4 years after she filed the complaint in Odisha's Kandhamal district.

As per reports, the victim, a female Sub-Inspector (SI) of Odisha Police, had filed the complaint of sexual harassment against the IIC Ramesh Pradhan of Phiringia police station in the district in 2019. But neither the case was registered nor investigation initiated.

Though the SI sought intervention of the higher authorities through letters, no step was initiated on her complaint. Finally, she approached the National Human Rights Commission (NHRC) for justice.

Following an inquiry into the SI's complaint, the NHRC asked Odisha DGP to register a case. As per the Commission's order, the DGP has handed over the case to the Crime Branch and a special team has been formed for investigation.

"On the order of NHRC, Odisha Crime Branch has registered a case and a lady DSP is investigating into the allegation. We will ensure an impartial investigation into the case," said DGP Arun Kumar Sarangi.

LATESTLY, Online, 5.2.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

# India News | Odisha Police Inspector Booked for Sexually Assaulting Female Colleague

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-odisha-police-inspector-booked-for-sexually-assaulting-female-colleague-5737847.html

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The Odisha crime branch has registered a case against a police inspector for allegedly sexually assaulting a lady sub-inspector (SI) in 2019, a senior police official said on Sunday.

Bhubaneswar, Feb 4 (PTI) The Odisha crime branch has registered a case against a police inspector for allegedly sexually assaulting a lady sub-inspector (SI) in 2019, a senior police official said on Sunday.The accused inspector has been booked following a direction from the National Human Rights Commission (NHRC), Odisha Director General of Police (in-charge), Arun Sarangi, said.

“The incident took place in 2019. According to the complaint, the police inspector had sexually assaulted the victim in the workplace. The female SI had lodged a complaint with the police station. However, no action was taken,” Sarangi told reporters here.Later, she filed a petition before the NHRC, following which an internal complaint committee of the police department and an NHRC panel investigated the matter.

The commission has directed the police to register a case based on the complaint lodged by the victim and initiate an investigation, he informed.Accordingly, a case has been registered against the police inspector, and a deputy superintendent of police (DSP) rank lady officer has been asked to probe into the sexual harassment angle of the case.

# Odisha police inspector booked for rape of colleague in 2019

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/odisha-police-inspector-booked-for-rape-of-colleague-in-2019/articleshow/107395410.cms

Bhubaneswar: The state crime branch on Friday registered a case against an inspector on charges of sexually assaulting a sub-inspector (SI) in June 2019.

According to director general of police (in-charge) Arun Sarangi, the inspector has been booked under section 376 (rape) of the IPC following a direction from the National Human Rights Commission (NHRC). Sarangi said he entrusted the crime branch to investigate the case.

“We have registered a case. A team led by a woman police officer will start the investigation,” additional director general (Crime Branch) Arun Bothra told TOI.

Police sources said the SI was allegedly subjected to sexual harassment while working under the inspector in Ganjam district in June 2019. The SI recently moved the NHRC alleging that she did not get justice from the Odisha police. She alleged that though she had lodged a complaint with the Ganjam police then, no FIR was registered against Pradhan.

“The inspector kept sexual relations with me forcefully inside his quarters. When I drew the attention of my seniors to the incident, I was asked to keep quiet,” she complained to the NHRC.

“As over four years have passed since the alleged incident took place, it will be a testing time for the Crime Branch to verify whether or not she was sexually harassed. We can register a rape case whenever a victim lodges a complaint. Circumstantial evidence, if proved against the inspector, may play a key role during the trial,” another police officer said.

We also published the following articles recently

Odisha police inspector booked for 'rape' of colleague in 2019The state Crime Branch registers a case against inspector Pradhan for sexually assaulting a sub-inspector in Ganjam district in June 2019. The inspector is booked under section 376 (rape) of the IPC following a direction from the national human rights commission (NHRC). The Crime Branch will investigate the case, led by a woman police officer.107390386

TIMES OF INDIA, Online, 5.2.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Tainted inspector Taral Bhatt arrested in extortion caseInspector Taral Bhatt was arrested for allegedly extorting Rs 25 lakh from a Kerala resident. B Division police registered a complaint against Bhatt, A M Gohil, and Dipak Jani for freezing bank accounts. Bhatt was previously scrutinized during a probe into a betting scam in Madhavpura.107374798

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRINT, Online, 5.2.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

# ओडिशा : महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी पुलिस निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

https://hindi.theprint.in/india/odisha-fir-registered-against-police-inspector-accused-of-sexually-harassing-female-colleague/659626/

भुवनेश्वर, चार फरवरी (भाषा) ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने एक महिला उप-निरीक्षक (एसआई) का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (प्रभारी) अरुण सारंगी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के निर्देश के बाद आरोपी निरीक्षक पर मामला दर्ज किया गया है। यह घटना 2019 की है।

अरुण सारंगी ने यहां संवाददाताओं से कहा, '' यह घटना 2019 में हुई थी। शिकायत के मुताबिक, पुलिस निरीक्षक ने कार्यस्थल पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया था। महिला उप-निरीक्षक ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ''

बाद में पीड़िता ने एनएचआरसी के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसके बाद पुलिस विभाग की एक आंतरिक शिकायत समिति और एनएचआरसी समिति ने मामले की जांच की।

उन्होंने बताया कि आयोग ने पुलिस को पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।

# महिला SI के यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस इंस्पेक्टर पर दर्ज किया गया मामला

https://jantaserishta.com/odisha/case-registered-against-police-inspector-for-sexual-harassment-of-female-si-1218588

भुवनेश्वर: ओडिशा अपराध शाखा ने गंजम जिले में 2019 में एक महिला उप-निरीक्षक के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है , जहां वह काम करती थी। यह मामला कंधमाल जिले के फ़िरिंगिया पुलिस स्टेशन के आईआईसी के रूप में कार्यरत रमेश प्रधान के खिलाफ दर्ज किया गया है।

महिला सब-इंस्पेक्टर का 2019 में गंजम जिले में उनके आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है, महिला सब-इंस्पेक्टर ने गंजम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और यह भी आरोप लगाया कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला था। फिर वह 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चली गईं और आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस विभाग से कोई न्याय नहीं मिला।

एनएचआरसी ने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को जांच करने और महिला एसआई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। डीजीपी अरुण सारंगी ने कहा है कि जांच प्रक्रिया क्राइम ब्रांच में डीएसपी के तौर पर कार्यरत महिला अधिकारी कल्पना साहू और टीम को करनी है. उन्होंने यह भी कहा, अगर पुलिस इंस्पेक्टर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

AMAR UJALA, Online, 5.2.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

# श्रीनगर: मानवाधिकार उल्लंघनों पर सात फरवरी को आयोजित होगा शिविर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुनेगा शिकायतें

https://www.amarujala.com/jammu-and-kashmir/srinagar/national-human-rights-commission-nhrc-set-to-conduct-open-public-hearing-in-srinagar-on-feb-7-2024-02-04

एडवोकेट भान ने प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही अशांति के पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें 30 वर्षों से अधिक समय से उग्रवाद के कारण स्थानीय लोगों को हिंसा, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) सात से नौ फरवरी को जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों पर शिविर आयोजित करने जा रहा है। यह शिविर श्रीनगर में आयोजित होगा। इस दौरान सार्वजानकि बैठक कर आम लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। 31 अक्तूबर 2019 में राज्य मानवाधिकार आयोग के उन्मूलन के बाद पहली बारी प्रदेश में मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों को संबोधित करेगा।

अंतरराष्ट्रीय कानून में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध वकील अशोक भान ने हाल ही में एनएचआरसी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा को उनके कार्यालय में जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी और इस संबंध में एक नोट सौंपा है।

एडवोकेट भान ने प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही अशांति के पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें 30 वर्षों से अधिक समय से उग्रवाद के कारण स्थानीय लोगों को हिंसा, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा।

एनएचआरसी के अध्यक्ष के साथ अपनी दो घंटे की बैठक में एडवोकेट भान ने प्रदेश के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आंतरिक रूप से विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, नशे के खतरे और युवाओं के लिए आर्थिक स्थिरता पर चर्चा की गई।

भान ने कानून के शासन और लोकतंत्र में विश्वास पैदा करने के लिए समाज के दिल और दिमाग को जीतने और एक मजबूत सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

जम्मू और कश्मीर में सामूहिक हत्याएं, जबरन गायब कर दिया जाना, यातनाएं, बलात्कार, पेलेट गन के इस्तेमाल, दुर्व्यवहार और बोलने की स्वतंत्रता के दमन से लेकर धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध, नरसंहार और लक्षित हत्याओं जैसे अपराधों से मानवाधिकारों का हनन किया गया। एनएचआरसी अब इन चिंताओं को दूर करने के लिए कमर कस रहा है।

7 से 9 फरवरी तक श्रीनगर में होने वाली शिविर में एनएचआरसी व्यक्तियों को कथित अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए आमंत्रित करेगा।
एनएचआरसी इन शिकायतों की समीक्षा करेगा, जिनमें मानवाधिकारों को बाधित करने वाले आतंकवादी कृत्य भी शामिल हैं। इनके लिए उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा। वे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानवाधिकारों पर संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों की भी जांच करेंगे।

भान ने कहा कि कश्मीर में अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एनएचआरसी ने कभी भी इस क्षेत्र के प्रति कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए कि एनएचआरसी कश्मीर में मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाने और उन्हें सुधारने के तरीकों का आदेश देने के लिए आगे गया है। ऐसा अनुच्छेद 370 की निष्क्रियता और जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग के समापन के बाद हुआ है।

अधिकारों के उल्लंघन पर खुली सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का एनएचआरसी का निर्णय जम्मू-कश्मीर में लोगों को सीधे एनएचआरसी के पास शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए तंत्र बनाने की सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद आया है।
असहमति पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण कई मानवाधिकार संगठनों ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे कई अनसुलझे मामले सामने आए हैं।

भान ने एनएचआरसी को कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली क्रूर मानवाधिकार स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जबरन विस्थापन, हिंसा और लगातार भेदभाव से वे असुरक्षित हो गए हैं और तत्काल सरकार और एनएचआरसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

कश्मीरी पंडितों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकारों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है, और उनकी सांस्कृतिक विरासत के नष्ट होने का खतरा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक बार फिर इन अत्याचारों की जांच करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और कश्मीरी पंडितों की भलाई और अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय लागू करने का आग्रह किया गया। उनकी जड़ों की ओर वापसी एक राष्ट्रीय मांग है जो गंभीर सिफारिशों की हकदार है।